राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रमेशचन्द बनाम रामरतन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
483/23 484/23 610/22 614/22	पत्रावलीयां प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 13/10/2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
13/10/2025	आज यह पत्रावलीयां वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 6 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 20/12/2017 पारित करते हुये आराजी खसरा नम्बर 1180/0.40, 1181/0.48, 1182/0.51, 1183/0.41, 1184/0.41, 1185/0.48, 1186/0.46, 1187/0.55, 1188/0.82, 1189/0.42, 1190/0.32, 1191/0.44, 1192/0.40, 1193/1.21, 1194/0.33, 1197/0.11, 1198/0.02 कुल केता 17 कुल रकबा 7.77 हैक्टेयर वाके मौजा बड़ाबास, तहसील कोटपुतली के मौके पर जाकर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में पक्षकारान के जमाबन्दी में दर्ज हिस्सानुसार एवं रास्ते का निर्धारण करते हुये मीट्स एण्ड बाउन्ड्स के आधार पर मौके व रिकार्ड को मध्यनजर रखते हुए अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी भूमि की कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा अलग-अलग रंग दर्शाते हुये तैयार कर न्यायालय के समक्ष भिजवाये जाने के आदेश प्रदान किये गये। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया जाने पर अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 23/06/2020 पारित करते हुये वादीगण का वाद डिक्री फरमा दिया गया। जिसके विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 483/2023, 484/2023, 610/2022, 614/2022 प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय कुर्रेजात रिपोर्ट एवं अपीलाधीन प्राथमिक एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री का अवलोकन किये जाने से अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री में कोई त्रुटी जाहिर नही होती है किन्तु जहाँ तक कुर्रेजात के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय व डिक्री का प्रश्न है तो तहसीलदार से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अपूर्ण एवं त्रुटीपूर्ण होना स्पष्ट होता है। ऐसी स्थिति में ऐसी त्रुटीपूर्ण राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

M-9314625071

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रमेशचन्द बनाम रामरतन हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहलकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
483/23 484/23 610/22 614/22		

कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित की गयी अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री भी त्रुटीपूर्ण होना जाहिर होती है | अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 23/06/2020 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे तहसीलदार से दोनों पक्षों की उपस्थिति में पुन: विधिसम्मत कुर्रेजात तैयार कर तलब किया जाना सुनिश्चित कर बाद प्राप्ति कुर्रेजात रिपोर्ट पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर, प्राप्त आपत्तियों का विधिसम्मत निस्तारण करते हुये अन्तिम निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील 483/2023 मय हमफिता पत्रावलीयां निस्तारित की जाती है |

पत्रावलीयां फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 13/10/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर